भारतीय मुस्लिम स्त्रियों की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति का विवेचनात्मक अध्ययन

डॉ. अजय कुमार शुक्ल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी)
कला एवं मानविकी संकाय
कलिंगा वि.वि. नया रायपुर (छ.ग.)

शोध सारांशः

किसी भी मानव समाज के निर्माण में पुरूष और महिला की समान भागीदारी होती है। शारीरिक असमानता के बावजूद भी दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दुनिया के तमाम धर्म एवं मानव समाज में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को बराबर अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्हें कोमलता, त्याग और बलिदान की मूरत बनाकर पेश किया गया है। अन्य धर्मो की अपेक्षा इस्लाम धर्म में महिलाओं को ज्यादा हक प्रदान किया गया है। इसके बावजूद भी भारतीय समाज में मुस्लिम स्त्रियों की वास्तविक स्थिति निराशाजनक रही है। गरीबी, अशिक्षा एवं धार्मिक कट्टरता और गलत व्याख्या के कारण बहुसंख्यक मुस्लिम स्त्रियों की सामाजिक स्थिति शोचनीय है। स्वतंत्र भारत में यह स्थिति कुछ हद तक सुधर रही है। विभिन्न सरकारों द्वारा इनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं भी बनी है। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा, व्यवसाय एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं ने नया मुकाम हासिल कर रही है। मुस्लिम शिक्षा एवं जागरूकता के प्रसार से भारतीय मुस्लिम महिलाओं का भविष्य उज्ज्वल है। आने वाले समय में निश्चित रूप से वह भारतीय समाज में अपनी सशक्त भूमिका का निर्वहन करेंगी।

बीज शब्दः

भारतीय समाज, मुस्लिम स्त्री, धार्मिक अधिकार, शासकीय योजनाएँ, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक भागीदारी, नेतृत्व क्षमता।

प्रस्तावनाः

भारत वर्ष विविध धर्म, संस्कृति एवं परंपराओं का पालन करने वालों का देश है। किसी भी समाज का निर्माण स्त्री और पुरूष की समान भागीदारी से ही संभव है। सृष्टि एवं जीवन के विकास में दोनों की महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य भूमिका रही है। किंतु समय एवं परिस्थितियों में परिवर्तन के फलस्वरूप भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था मजबूत होती चली गयी। जिसके फलस्वरूप वर्तमान समय में भी भारतीय समाज में नर–नारी की भागीदारी, अधिकार

और नेतृत्व के क्षेत्र में असमानता के दर्शन होते हैं। अनेक विपरीत परिस्थितियों के बावजुद भी भारतीय समाज में स्त्रियों ने नए–नए मुकाम हासिल किए हैं एवं नए समाज के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भमिका रही है।

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देश के संविधान में भी स्त्री और पुरूष को समान अधिकार प्रदान किया गया है। स्वतंत्र भारत के संविधान में नर–नारी की समान भागीदारी से एक समतामूलक समाज की स्थापना पर बल दिया गया है। किंतु यह भी सत्य है कि भारतीय समाज के कुछ एक धर्म एवं वर्ग की महिलाओं की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हो पाया है। भारतीय समाज में जनसंख्या की दृष्टि से इस्लाम धर्म का पालन करने वालों की संख्या दूसरे क्रम में है। भारतीय समाज में अन्य धर्म की स्त्रियों के अपेक्षाकृत मुस्लिम समाज की स्त्रियों की वास्तविक दशा चिंतनीय है। कुछ लोग इसका कारण धर्म से जोड़ते हैं किंतु इसकी मुख्य वजह गरीबी, अशिक्षा एवं जागरूकता में कमी है। क्योंकि इस्लाम धर्म, एक प्रगतिशील धर्म है और वहाँ अन्य धर्मो की तुलना में स्त्रियों को ज्यादा अधिकार प्राप्त है। अन्य धर्म की तरह इस्लाम धर्म में भी रूढ़ि, अंधविश्वास और कट्टरता हावी है। जिसका खामियाजा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में रहने वाली गरीब और अशिक्षित स्त्रियों को भुगतना पड़ता है। आधुनिक भारतीय समाज की मुस्लिम स्त्रियों ने अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता से एक नया मुकाम हासिल किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय मुस्लिम स्त्रियों की धार्मिक एवं सामाजिक स्थितियों का विवेचनात्मक अध्ययन किया गया है।

भारतीय मुस्लिम स्त्री : दशा एवं दिशा

भारत के किसी भी समाज में पुरूषों की अपेक्षाकृत महिलाओं की स्थिति कमजोर है। मुस्लिम समाज भी इससे अलग नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वतंत्रता प्रत्येक मामले में मुस्लिम स्त्री की दशा निराशाजनक है। मुस्लिम समाज में स्त्रियों की स्थिति में सुधार नही होने का प्रमुख कारण है कि समय के साथ मुस्लिम समाज में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। उनकी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन भी दिखलाई नहीं पढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय समाज में जब भी मुस्लिम स्त्री की सामाजिक हैसियत पर बात होती है तो धर्म बीच में आ जाता है।

अन्य धर्मों की अपेक्षा मुस्लिम धर्म में सामाजिक गतिविधियों में धर्म का हस्तक्षेप ज्यादा है। उसके आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष पर बात करना महत्वपूर्ण है। ''मुस्लिम औरतों के पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, शिक्षा का अभाव है। सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण वह उच्च स्तर पर अध्ययन नहीं कर पाती है। उनकी पढ़ाई छोड़ने का कारण धर्म नही बल्कि गरीबी है। (1)

यह महत्वपूर्ण बात है कि जिस मुस्लिम स्त्री की दशा पर बात करते हुए उसे धर्म की चारदीवारी में समेट दिया जाता है, उसके पिछड़ेपन पर सही ढंग से फोकस किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका सामाजिक एवं आर्थिक आधार कमजोर है। उनकी खराब स्थिति का कारण धर्म से ज्यादा गरीबी तथा जहालत है। सिमोन द वोउवार कहती हैं कि ''औरत वह मानव–प्राणी है जो मूल्यों के जगत में अपने होने के मूल्य का मूल्य, उसी जगत में खोज रही है, जो आर्थिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए अनिवार्य है। हमें औरत की पूरी परिस्थिति के अस्तित्वगत परिप्रेक्ष्य में ही समझना होगा।'' (2)

भारतीय मुस्लिम स्त्रियों के धार्मिक अधिकार :

यह वास्तविक तथ्य है कि नारी–पुरूष के बीच समानता की बात कोई भी धर्म नहीं करता लेकिन इस्लाम धर्म के साथ स्थितियाँ कुछ अलग हैं क्योंकि अन्य समाजों में स्त्रियाँ, जहाँ लम्बे संघर्ष के बाद जो अधिकार ग्यारहवीं–बारहवीं सदी में हासिल कर पाईं, वे अधिकार इस्लाम ने बिना किसी संघर्ष के छठी सदी में ही स्त्रियों को दे दिए थे। इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद स.अ.व. ने माँ और बेटियों के संबंध में फरमाया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। जिस किसी के पास बेटियाँ अथवा बहने हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया तभी वह जन्नत में जाएगा। (3) वहाँ पर स्पष्ट रूप से यह भी लिखा है कि जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, वहाँ फरिश्ते विराजते है। इस्लाम धर्म में महिलाओं को अपनी जीवन के हर भाग में महत्व प्रदान किया गया है। चाहे माँ के रूप में हो, पत्नी के स्वरूप में हो, बेटी हो या बहन के रूप में हो। तात्पर्य है कि विभिन्न परिस्थितियों में नारी को सम्मान प्रदान किया गया है। (4) ''कुरान, हदीस व अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से पता चलता है कि मुसलमान स्त्री के अधिकारों का हनन करने या कटौती करने के लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं, वरन इसके लिए पूरी तरह से वे मुसलमान जिम्मेदार हैं जो धर्म की व्याख्या करने का अधिकार रखते हैं।(5)

इसी संदर्भ में असगर अली इंजीनियर लिखते हैं कि ''प्रारंभिक इस्लामिक समाज लिंग आधारित समानता को पचा नहीं सका और न्यायविदों ने हदीस का आविष्कार किया, ताकि उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए लिंग आधारित भेद–भाव वाले कानूनों को स्वीकृति मिल सके। अब वह समय आ गया है, जब शरीयत के इन प्रावधानों पर फिर से विचार किया जाए और लिंग आधारित न्याय की कुरान की मूल भावना को फिर स्थापित किया जाए। (6)

- **स्त्री–पुरूष समानता :**

  अगर समानता के नजरिए से देखें तो इस्लाम वह पहला धर्म है जो स्त्री के साथ पुरूष की समानता की बात करता है। यह समानता सामाजिक तथा आर्थिक दोनों स्तरों पर है। समानता के बारे में कुरान में वर्णित है कि ''उनके रब ने उनकी

दुआ कबूल की कि मैं किसी कर्म करने वाले की मेहनत को अकारथ नहीं होने दूँगा, तुम में से कोई मर्द हो या औरत, तुम आपस में एक दुसरे के अंग हो।'' **(7)**

इस सामाजिक समानता के उपरांत इस्लाम स्त्री को आर्थिक समानता प्रदान करने की भी बात करता है। ''मर्दों के लिए भी हिस्सा है, जब माँ बाप और करीबी रिश्तेदार माल छोड़कर पर जाये और औरतों को भी हिस्सा मिलेगा।'' विरासत के मामले में इस्लाम चल और अचल सम्पत्ति में कोई अन्तर नहीं करता बल्कि उसके अनुसार हर एक वस्तु तमाम हकदार वारिसों में बाँटी जानी चाहिए। **(8)**

दुष्कर्म के मामले में कुरान में समान सजा की बात कही गई है ''बदकार औरत और बदकार मर्द को सौ–सौ कोड़े मारो''। **(9)**

इस्लाम औरतों को उनके हक से वंचित नहीं करता और ना ही उन्हें चारदीवारी में कैद करने की बात करता है, फिर भी आज भी बहुत मुस्लिम औरतों का चारदीवारी से बाहर निकलना मुश्किल है। औरतों के आजीविका कमाने के अधिकार का कुरान की आयत 4:32 में उल्लेख है जिसमें कहा गया है कि ''मर्द जो कमाता है उसका लाभ उसके लिए है और औरत जो कमाती है, उसका लाभ उसके लिए है'' इसके विपरीत दकियानूस इस्लामी विचारक यह मानते हैं कि औरतों का असली कर्त्तव्य अपने बच्चे पालना तथा अपने पति की सेवा करना है। **(10)**

➢ विवाह में स्त्रियों के इच्छा का अधिकार :

सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता के साथ ही विवाह के मामले में भी इस्लाम स्त्री की इच्छा को महत्व देता है। इस्लाम स्त्री की इच्छा के विरूद्ध विवाह को अवैध मानता है ''किसी विधवा का विवाह उससे मशविरा किए बिना न किया जाये और किसी कुँवारी का विवाह उसकी रजामंदी के बिना न करो।''**(11)** मगर आज की स्थिति इसके उल्टी है, कई लड़कियों के विवाह उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे दोगुने–चौगुने उम्र के पुरूषों से कर दिए जाते हैं, पैसे की लालच या गरीबी के कारण कई लड़कियों को बेच दिया जाता है। तो कही अपने पिता की उम्र के पुरूष के साथ दूसरी, तीसरी या चौथी पत्नी बनने के लिए विवश किया जाता हैं। जबकि इस्लाम धर्म के अनुसार निकाह (विवाह) के समय भी महिलाओं की रजामंदी जरूरी है। उसके बाद ही वह अपना शौहर (पति) तय करती है। विवाह के समय उन्हें मेहर भी प्रदान किया जाता है। जो उनके भविष्य के लिए सुरक्षानिधि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

➢ बहु विवाह :

मुस्लिम समाज में बहुविवाह की प्रथा मुस्लिम स्त्रियों के लिए अभिशाप की तरह है। इस प्रथा ने मुस्लिम स्त्रियों को पुरूष की भोग्या बनने तक सीमित कर दिया है। अगर हम इस संदर्भ को कुरान से जोड़ें तो सबसे पहले कुरान तथा उसकी तत्कालीन परिस्थितियों पर विचार करना जरूरी हो जाता है। इस्लाम का आरंभिक दौर युद्धों का काल था। पुरूष युद्धों में मारे जाते थे, स्त्रियों के समायोजन की विकट समस्या थी। ऐसी विकट परिस्थिति में मुसलमानों की चार शादी करने की बात की गई, इसका कुरान में मात्र इतना ही उल्लेख है कि ''और यदि तुम्हें भय हो कि यतीमों के मामले में न्याय कर सकोगे तो स्त्रियों में से जो तुम्हारे लिए जायज हों दो–दो, तीन–तीन और चार–चार तक विवाह कर लो। और यदि तुम्हें भय हो कि उनके साथ समता का व्यवहार न कर सकोगे तो फिर एक ही पर बस करो या वह स्त्री जो तुम्हारे कब्जे में हो उसी पर बस करो। इसमें तुम्हारी ज्यादती से बचे रहने की अधिक सम्भावना है।''**(12)**

इससे यह स्पष्ट होता है कि इस्लाम चार शादी करते का कोई अधिकार प्रतिपादित नहीं करता। कुछ लोगों ने कुरान के आदेशों को अपने निहितार्थ के लिए विकृत कर लिया है। इस विकृति से छुटकारे के लिए धर्म एवं आधुनिक ज्ञान–विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य हो जाती है।

- **तलाक :**

तलाक की प्रथा भी मुस्लिम समाज की स्त्री के लिए पीड़ादायी बनी हुई है। ''मुसलमानों में आज तलाक का यह विकृत रूप प्रचलित है कि कोई पति अपनी पत्नी को क्षण–भर में तीन बार तलाक कहकर उससे छुटकारा पा सकता है। इस विकृत रूप के कारण प्रत्येक विवाहिता हर समय भयभीत रहती है। एक तरफ तलाक का यह विकृत रूप और दूसरी तरफ चार विवाह करने की छूट प्रत्येक विवाहित स्त्री के लिए त्रासदी होती है।'' **(13)**

इस्लाम–धर्म के उद्भव से पूर्व पत्नी को किसी प्रकार भी विवाह विच्छेद का अधिकार नहीं था। कुरान द्वारा पहली बार पत्नी को तलाक प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। वैसे इस्लाम में 'तलाक' को तमाम वस्तुओं में सबसे बुरा कहा गया है फिर भी तलाक की एक प्रक्रिया तय की गई है जिसमें सर्वप्रथम पति–पत्नी को समझाने का प्रावधान है ''और यदि तुम्हे उन पति–पत्नी के बीच बिगाड़ का डर हो तो एक पंच पुरूष पक्ष से एक स्त्री पक्ष से नियुक्त करो। यदि वे दोनों सुधार चाहेंगे तो अल्लाह उनमें अनुकूलता पैदा कर देगा।'' **(14)**

आगे कुरान में यह भी है कि ''और जब तुम स्त्रियों को तलाक दे दो और वे अपनी इद्दत पूरी तक कर लें तो उन्हें सामान्य नियम के अनुसार रोक लो या रूखसत कर दो और उन्हें सताने के लिए न रोको कि ज्यादती करो और जो ऐसा करेगा वह अपने ही ऊपर जुल्म ढायेगा।'' **(15)**

इसके और आगे बढ़ें तो एक आयत में तो तीन बार तलाक देने की ही मनाही है यह आयत तीन बार तलाक देने के खिलाफ खड़ी है जिसमें कहा गया है कि ''तलाक दो बार की है और फिर या तो सामान्य नियम के अनुसार स्त्री को रोक लेना चाहिए या भले तरीके से विदा कर देना चाहिए।''**(16)** इस प्रकार हम देखते हैं कि कुरान आज के प्रचलित तलाक प्रणाली जो धर्म के ठेकेदारों द्वारा निश्चित की गई है, के खिलाफ बात करता है, साथ ही इस मसले पर स्त्री के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। कुरान में तलाक की जो आदर्श प्रक्रिया थी उसे उलेमाओं ने खिलौना बना दिया।

वर्तमान परिपेक्ष्य में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में तीन तलाक को गैर–कानूनी करार दिया था। भारत के राष्ट्रपति ने 19 सितंबर 2018 से तील तलाक बिल को मंजूरी दे दी है। इस तरह पारंपरिक तीन तलाक नियम को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। जिसकी वजह से यह गलत परंपरा समाप्त होने की कगार पर है।

- **पर्दा प्रथा :**

पर्दा–बुर्का प्रथा की शुरूआत अरब देशों में हुई थी। ''जिस तरह के हिजाब (पर्दा) का चलन है, जिसमें औरतें अपने को चेहरे सहित सर से पाँव तक ढके रहती हैं, उसका भी कुरान में कहीं उल्लेख नहीं है। इसका ताल्लुक कुरान के निवाज से है। हिजाब का यह प्रचलन संभवतः उमय्यदों के काल में शुरू हुआ।'' **(17)**

''मर्द आलिमों ने अपनी मंसूबों को पूरा करने के लिए हदीसों को अपने ढ़ंग से लिखा और महिलाओं पर पर्दा थोपा। जो मुल्ला–मौलवी महिलाओं को पर्दे में रहना जरूरी बता रहे है, वे दरअसल उस इस्लामी साहित्य का सहारा ले रहे है, जो अब्बासी खलीफाओं के जमाने में लिखा गया, न कि मोहम्मद साहब के समय में.....।''**(18)**

कुरान में तो बस यह अपेक्षा की गई है कि औरतों की ऐसी पोशाक हो जो उनके यौन आकर्षण का दिखावा न करे। इस व्यवस्था के पीछे भी तत्कालीन अरब के कुछ कारण तथा परिस्थितियाँ थीं। उस वक्त इस्लाम के विरोधियों का जबरदस्त बोल–बाला था जो स्त्री–पुरूषों को पहचान कर उनपर हमला करते थे। ऐसे समय में कुरान में यह उल्लेख मिलता है कि ''हे नबी, अपनी पत्नियों और बेटियों और ईमान

वाली स्त्रियों से कह दो कि वे (बाहर निकलने पर) अपने ऊपर चादरों के पल्लू लटका लें। इसमें इस बात की अधिक संभावना है कि वे पहचान ली जायें और सतायी न जायें और अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है।'' **(19)**

इस प्रकार हम पर्दे के संदर्भ में यह समझ सकते हैं कि कुरान के बहाने आज कितना जुल्म किया जा रहा है जो खुद कुरान/इस्लाम के खिलाफ है। पर्दे का आज एक कठोर बंधन बना दिया गया है। इस बंधन से मुक्ति का उपाय सिर्फ मुस्लिम स्त्रियों में जागृति लाना है। जहाँ जागृति आ रही है, मुस्लिम स्त्री पर्दे के बंधन से मुक्त हो रही है। मुस्लिम स्त्रियों की दीन हीन दशा के लिए इस्लाम नहीं, वरन इस्लाम की वे गलत व्याख्याएं जिम्मेदार हैं जो इस पुरूष प्रधान समाज में धर्माधिकारियों ने अपने यानी पुरूषों के स्वार्थ के लिए की हैं। **(20)**

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुस्लिम स्त्री के पिछड़ेपन के पीछे जितना गरीबी, अशिक्षा, जिम्मेदार है उससे कहीं ज्यादा वह धार्मिक कट्टरता की शिकार हुई है।

मुस्लिम स्त्रियों को मुख्यधारा में लाने के लिए शासकीय योजनाएँ :

भारत की स्वतंत्रा के पश्चात विभिन्न सरकारों ने मुस्लिम महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाई है एवं उनकी सामाजिक भागीदारी तय करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, शिक्षण सामग्री, छात्रवृत्ति आदि का प्रावधान किया जाता है। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार अभी तक 2,30,744 विद्यार्थियों को 2,74.72 करोड़ रूपये वितरित किए गए है। **(21)**

- इसी क्रम में **पढ़ो परदेश** के अंतर्गत विदेश में अध्ययन हेतु अल्पसंख्यक छात्राओं को बिना ब्याज के शैक्षिक ऋण प्रदान किया जाता है।

- **नवा सवेरा** योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाता है।

- **नई उड़ान** योजना के अंतर्गत निःशुल्क UPSC, SSC एवं राज्य लोकसेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण करने वाली अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

- मुस्लिम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लघु उद्योग एवं अन्य व्यवसाय के लिए शासन के द्वारा **आर्थिक सहायता** प्रदान की जाती है। इसी प्रकार महिला

सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाली एन.जी.ओ. को शासन के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

- **सीखो और कमाओ** योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित की जाती है।
- अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा पारंपरिक कलाओं एवं शिल्पों के विकास के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का निःशुल्क आयोजन किया जाता है।

मुस्लिम स्त्रियों की शैक्षणिक प्रगति :

देश में मुस्लिम लड़कियों के स्कूलों और कॉलेजों में जाने की संख्या में लगातार वुद्धि हुयी है। 2007–08 से 2020–21 के बीच भारत में उच्च शिक्षा में मुस्लिम महिलाओं का उपस्थिति अनुपात 6.7% से बढ़कर 23.5% हो गया है। ये इजाफा कॉलेज जाने वाली 18 से 23 साल की मुस्लिम लड़कियों में हुआ है। बेशक यह मुस्लिम आबादी अनुपात के में कम है लेकिन इसमें बढ़ोत्तरी साफ नजर आती है। नेशनल सैंपल सर्वे का डाटा भी बताता है कि कॉलेज में जाने वाली मुस्लिम लड़कियों की संख्या पहले की अपेक्षा दोगुनी हो गयी है।**(22)**

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया जैसे शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2001 से अभी तक स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में मुस्लिम महिलाओं में 200 फीसदी ज्यादा बढ़ी है।**(23)**

इतना सब होने के बावजूद भी भारत में मुस्लिम स्त्रियों की शैक्षणिक स्थिति चिंताजनक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा दिए गए आँकड़ो के अनुसार में साक्षरता दर 50.1 है। वर्तमान परिस्थितियों में सुधार आ रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ी–लिखी महिलाएँ ही गरीबी, धार्मिक रूढ़िवादी परंपराएँ, कुप्रथाएँ, एवं धार्मिक कट्टरता के खिलाफ संघर्ष करते हुए आधुनिक समाज में समान भागीदारी के अवसर प्राप्त कर सकती है।

सामाजिक भागीदारी एवं नेतृत्व क्षमता में बड़ते कदम :

आधुनिक समय में मुस्लिम महिलाओं ने अपने–अपने स्वाभाविक कार्यक्षेत्र में काम करते हुए अन्य क्षेत्रों में भी नया मुकाम हासिल किया है। वर्तमान समय में मुस्लिम समाज की अनेक महिलाएँ राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आश्चर्यजनक रूप से कार्य कर रही है।**(24)** भारतवर्ष के अविभाजित हिस्से पाकिस्तान में वेनजीर भूट्टों और पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में बेगम खालिदा जिया ने अपने संपूर्ण राष्ट्र को कुशलता पूर्वक नेतृत्व किया है। भारत में महबूबा

मुफ्ती सईद, नजमा हेपतुल्ला, नुसरत जहाँ, साजदा अहमद, तबस्सुम हसन एवं अन्य महिलाओं ने राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

इसी क्रम में फातिमा शेख, सानिया मिर्जा, मलाला युसुफजई, शहनाज हुसैन, सुरैया, बेगम अख्तर, शबाना आजमी इत्यादि मुस्लिम स्त्रियों का नाम भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है। जिन्होंने समाज सेवा, खेल, स्त्री शिक्षा, सौंदर्य प्रसाधन, फिल्म जगत आदि क्षेत्रों में भी अपना विशेष परचम फहराया है।

उपसंहार :

उपर्युक्त तथ्यों के अध्ययन के उपरांत यह निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि भारतीय समाज में पुरूषों की अपेक्षा में स्त्रियों के सामाजिक अधिकारों में कमी है। दुनिया के तमाम धर्मो में भी स्त्रियों को समान अधिकारों से वंचित रखा है। इस्लाम धर्म में अपेक्षाकृत महिलाओं को ज्यादा अधिकार प्राप्त है लेकिन पुरूषप्रधान समाज में कठमुल्लों ने उनकी गलत व्याख्या करके लंबे समय तक स्त्रियों को चारदीवारी में कैद रखने का प्रयास किया है। वर्तमान समाज में भारतीय मुस्लिम महिलओं को मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न सरकारों ने अच्छा काम किया है। उनकी शैक्षणिक स्थिति में बेहतर सुधार आ रहा है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में वह अपनी भागीदारी एवं नेतृत्व क्षमता का परचम लहरा रही है।

संदर्भ स्त्रोत :

1. संपादकीय – राजेन्द्र यादव, हंस, अगस्त 2003, पृ. 15
2. स्त्री – उपेक्षिता–सीमोन द बोउवार (अनु.), प्रभा खेतान, पृ. 44
3. लाईट ऑफ इस्लाम – अनसार अली खान–16.03.2021 (ई–पत्रिका)
4. लाईट ऑफ इस्लाम – अनसार अली खान–16.03.2021 (ई–पत्रिका)
5. भारतीय मुसलमान – मिथक और यथार्थ (स.) राजकिशोर, पृ. 104
6. डॉ. अजय कुमार शुक्ल और ताहिरा बेगम – भारतीय मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति का विवेचनात्मक अध्ययन, आई.जे.आर.एस.टी., 15 अक्टूबर 2021, ISSN : 2395-6011.
7. डॉ. अजय कुमार शुक्ल और मरियम अहमद – भारतीय मुस्लिम स्त्रियों की धार्मिक अधिकार, सामाजिक भागीदारी एवं नेतृत्व क्षमता पर विश्लेषणात्मक अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पत्रिका, कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.), ISBN No: 978-93-93694-22-5.

8. भारतीय मुसलमान – वर्तमान और भविष्य, हंस, अगस्त 2003, पृ. 26

9. कुरान–मजीब (3:195), पृ. 77

10. कुरान मजीद (4:7), पृ 79

11. कुरान–मजीद (24:2), पृ. 251

12. कुरान–मजीद (4:32), पृ. 84

13. भारतीय मुसलमान – मिथक और यथार्थ (सं.), राजकिशोर, पृ. 106

14. कुरान–मजीद (4:3), पृ. 78

15. भारतीय मुसलमान – मिथक और यथार्थ, राजकिशोर (सं.), पृ. 109

16. कुरान–मजीद (4:35), पृ. 85

17. कुरान–मजीद (2:231), पृ. 38

18. कुरान–मजीद (2:229), पृ. 37

19. भारतीय मुसलमान – वर्तमान और भविष्य, हंस (अगस्त 2003), पृ. 26

20. मुस्लिम महिलाएँ – आशा की एक नई किरण, जागरण, 23 फरवरी 2022

21. कुरान–मजीद (33:59), पृ. 427

22. भारतीय मुसलमान – मिथक और यथार्थ राजकिशोर (सं.), पृ. 111–112

23. अल्पसंख्यक मंत्रालय (भारत सरकार) की वेबसाईट से

24. टी.वी. इण्डिया 24 – शुभांगी गोयल – 13 फरवरी 2022 (ई–पत्रिका)

25. जागरण–उदय प्रकाश अरोड़ा, 05 अगस्त 2017 (ई–पत्रिका)

26. मुस्लिम महिलाएँ – जमालुद्दीन, संघमित्रा प्रकाशन, अलीगढ़, पृ. 48